न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 117/2019 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2019/01228**
दायर दिनांक :– 25.06.2019 **निर्णय दिनांक :– 28.08.2025**

01. दानाराम पुत्र बगताराम जाति विश्नोई निवासी विष्णुनगर जालोड़ा तह. लोहावट जिला फलोदी
02. बालाराम पुत्र बगताराम जाति विश्नोई निवासी विष्णुनगर जालोड़ा तह. लोहावट जिला फलोदी
03. नेमादेवी पत्नि पप्पूराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
04. गुड्डीदेवी पत्नि हनुमानराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
05. रूखी पत्नि बगडूराम जाति विश्नोई निवासी विष्णुनगर तहसील लोहावट जिला फलोदी

वादीगण..

बनाम

01. हरमेलसिंह पुत्र जोगीसिंह जाति जट सिख निवासी भटिण्डा तहसील फूल (पंजाब)
02. चिस्तरसिंह पुत्र जोगीसिंह जाति जट सिख निवासी भटिण्डा तहसील फूल(पंजाब)
03. गुरूमेलसिंह पुत्र जोगीसिंह जाति जट सिख निवासी भटिण्डा तहसील फूल (पंजाब)
04. जगदीश पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
05. रतीराम पुत्र हरचंन्द जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
06. देवाराम पुत्र पांचाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
07. भागीरथराम पुत्र चम्पालाल जाति जाट निवासी सांगरिया जिला हनुमानगढ
08. पंकज पुत्र दिलीपचन्द जाति जाट निवासी सांगरिया जिला हनुमानगढ
09. कमलादेवी पत्नि दिलीपचन्द जाति जाट निवासी सांगरिया जिला हनुमानगढ
10. किरण पुत्री दिलीपचन्द जाति जाट निवासी सांगरिया जिला हनुमानगढ
11. ममता पुत्री दिलीपचन्द जाति जाट निवासी सांगरिया जिला हनुमानगढ
12. प्रकाशचन्द पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी सांगरिया जिला हनुमानगढ
13. अन्नीदेवी पत्नि किसनाराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तह. बाप जिला फलोदी
14. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक शाखा बाप तहसील बाप जिला फलोदी
15. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई शाखा नोख तहसील बाप जिला फलोदी
16. शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी. शाखा बाप तहसील बाप जिला फलोदी
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
18. किशनाराम पुत्र धीमाराम जाति विश्नोई निवासी देवलीनगर राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी

प्रतिवादीगण..........

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता वादीगण

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

2. श्री विजय तंवर अधिवक्ता प्रति. संख्या 5

3. श्री रविन्द्रसिंह भाटी अधिवक्ता प्रति. सं. 12

4. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम नेवा के खसरा नम्बर 807 रकबा 50 बीघा, खसरा नम्बर 807/1 रकबा 29.10 बीघा, खसरा नम्बर 807/2 रकबा 117.13 बीघा, खसरा नम्बर 807/3 रकबा 59.11 बीघा, एवं खसरा नम्बर 834 रकबा 13.12 बीघा, खसरा नम्बर 834/1 रकबा 26.15 बीघा, खसरा नम्बर 834/2 रकबा 45.05 बीघा, 834/3 रकबा 21.10 बीघा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादगस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मौका पर आपसी सहमति से हिस्से माफिक बंटवाड़ा कर लिया था।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी संख्या 5 की और से श्री विजय तंवर ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 12 की और से श्री रविन्द्रसिंह भाटी ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 व 12 ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया। शेष प्रतिवादीगण की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली में अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनकर ग्राम नेवा के खसरा नम्बर 807 रकबा 50 बीघा, खसरा नम्बर 807/1 रकबा 29.10 बीघा, खसरा नम्बर 807/2 रकबा 117.13 बीघा, खसरा नम्बर 807/3 रकबा 59.11 बीघा, एवं खसरा नम्बर 834 रकबा 13.12 बीघा, खसरा नम्बर 834/1 रकबा 26.15 बीघा, खसरा नम्बर 834/2 रकबा 45.05 बीघा, 834/3 रकबा 21.10 बीघा भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिकी जारी की गई। तहसीलदार बाप द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गयी पत्रावली बहस में रखी गई।

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन कर लिया गया है बाद अवलोकन पाया गया कि ग्राम नेवा के खसरा नम्बर 807 रकबा 50 बीघा, खसरा नम्बर 807/1 रकबा 29.10 बीघा, खसरा नम्बर 807/2 रकबा 117.13 बीघा, खसरा नम्बर 807/3 रकबा 59.11 बीघा, एवं खसरा नम्बर 834 रकबा 13.12 बीघा, खसरा नम्बर 834/1 रकबा 26.15 बीघा, खसरा नम्बर 834/2 रकबा 45.05 बीघा, 834/3 रकबा 21.10 बीघा के विभाजन हेतु प्राथमिक डिकी जारी की गयी थी। पटवारी हल्का कानासर व भू.अ.निरीक्षक कानासर एवं तहसीलदार बाप की रिपोर्ट के अनुसार वादीगण संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज अलग–अलग खसरान् की भूमि की तरमीम राजस्व अभिलेख भू–नक्शा में दर्ज है तथा खसरा नम्बर 807, 807/1, 834, 834/2, 834/3 की भूमि के राजस्व रेकर्ड वादीगण के नाम भूमि दर्ज नहीं है तथा उक्त खसरान् की ऑनलाईन तरमीम दर्ज है। वादीगण के नाम दर्ज खसरान् की तरमीम वर्तमान राजस्व रेकर्ड भू–नक्शा में दर्ज होने के कारण विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना संभव

20/3/25
क्टर
(फलोदी)

नहीं है। वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर (राज.)
बाप, जिला फलोदी

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी

पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

01. दानाराम पुत्र बगताराम जाति विश्नोई निवासी विष्णुनगर जालोड़ा तह. लोहावट जिला फलोदी
02. बालाराम पुत्र बगताराम जाति विश्नोई निवासी विष्णुनगर जालोड़ा तह. लोहावट जिला फलोदी
03. नेमादेवी पत्नि पप्पूराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
04. गुड्डीदेवी पत्नि हनुमानराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
05. रूखी पत्नि बगडूराम जाति विश्नोई निवासी विष्णुनगर तहसील लोहावट जिला फलोदी

वादीगण..

बनाम

01. हरमेलसिंह पुत्र जोगीसिंह जाति जट सिख निवासी भटिण्डा तहसील फूल (पंजाब)
02. चिस्तरसिंह पुत्र जोगीसिंह जाति जट सिख निवासी भटिण्डा तहसील फूल(पंजाब)
03. गुरूमेलसिंह पुत्र जोगीसिंह जाति जट सिख निवासी भटिण्डा तहसील फूल (पंजाब)
04. जगदीश पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
05. रतीराम पुत्र हरचन्द जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
06. देवाराम पुत्र पांचाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
07. भागीरथराम पुत्र चम्पालाल जाति जाट निवासी सांगरिया जिला हनुमानगढ
08. पंकज पुत्र दिलीपचन्द जाति जाट निवासी सांगरिया जिला हनुमानगढ
09. कमलादेवी पत्नि दिलीपचन्द जाति जाट निवासी सांगरिया जिला हनुमानगढ
10. किरण पुत्री दिलीपचन्द जाति जाट निवासी सांगरिया जिला हनुमानगढ
11. ममता पुत्री दिलीपचन्द जाति जाट निवासी सांगरिया जिला हनुमानगढ
12. प्रकाशचन्द पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी सांगरिया जिला हनुमानगढ
13. अन्नीदेवी पत्नि किसनाराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तह. बाप जिला फलोदी
14. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक शाखा बाप तहसील बाप जिला फलोदी
15. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई शाखा नोख तहसील बाप जिला फलोदी
16. शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी. शाखा बाप तहसील बाप जिला फलोदी
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
18. किशनाराम पुत्र धीमाराम जाति विश्नोई निवासी देवलीनगर राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी

प्रतिवादीगण..........

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या 117/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी हाजिर ओमप्रकाश गोदारा मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है ए

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

डिगरी दी जाती है कि वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। नीचे मुतालिक बाबत् खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहंर अदालत के आज तारीख 28.08.2025 को जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।